



फर्ड अहकाम(नियम 26)

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर (राज.)

सतीश सैनी बनाम सरकार व अन्य

फौजदारी निगरानी याचिका संख्या -22/2026

सी.आई.एस. नंबर 22/2026

दिनांक हुक्म	कार्यवाही मय आद्यहस्ताक्षर	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.08.2026	वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। यह फौजदारी निगरानी याचिका निगरानीकार द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर, अलवर द्वारा इस्तगासा अंतर्गत धारा 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में दर्ज प्रकरण संख्या 18/1102/2025 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2025 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसमें पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा पर निगरानीकार/गैरसायल को नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें 06 माह के लिए शांति बनाये रखने के लिए 10,000/-रूपये के जमानत-मुचलकों से पाबंद किया जावें। हम पाते हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर, अलवर द्वारा उक्त आदेश दिनांक 23.12.2025 को पारित किया गया है, जो आदेश धारा 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया गया था। उक्त आदेश की समयावधि 06 माह की थी, जो पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस निगरानी याचिका में कोई बल नहीं रह जाता है व निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत यह फौजदारी निगरानी याचिका एतद्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

